संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अवेश्वर सिंह) : (क) प्रचलित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर ऐसे ग्राम समूह के लिए एक डाकघर खोला जा सकता है जिनकी जनसंख्या मिलाकर 6000 या उससे अधिक हो :

(i) किसी मौजूदा डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी के भीतर कोई नया डाकघर नहीं खोला जा सकता।

(ii) डाकघर की अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत से 33.1/3 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

जहां तक पहाड़ी इलाकों और पिछड़े/जनजातीय इलाकों का संबंध है, उनकी मिली-जुली जनसंख्या कम से कम 1500 होनी चाहिए और डाकघर की अनुमानित आय उसकी लागत के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

ऊपर उल्लिखित मानदंडों की अब पुनरीक्षा की जा रही है। जब यह पुनरीक्षा पूरी हो जाएगी, तब आठवीं योजना में अपनाए जाने वाले मानदंड निश्चित किए जाएंगे और साथ ही उन गांवों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी जिनमें डाकघर खोले जाने हैं।

(ख) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1990–91 के अंतर्गत नए डाकघर खोलने के लिए 1.50 करोड़ रु० की राशि आवंटित की है।

भारतीय शान्ति सेना की वापसी

*28. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय शांति सेना की अन्तिम टुकड़ी भी 31 मार्च, 1990 को श्रीलंका से स्वदेश वापस आ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शांति सेना के वापस आने के साथ-साथ लगभग एक लाख तमिल शरणार्थी भी भारत आ चुके हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व किए गए श्रीलंका-भारत समझौते को कार्यरूप देने में सहायता करने हेतु तथा श्रीलंका में भारतीय मूल के नागरिकों के संरक्षण हेतु भेजी गई भारतीय शांति सेना को आंशिक सफलता ही मिली है और समझौता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारतीय शांति सेना के अंतिम सैनिक दल 24 मार्च, 1990 को श्रीलंका से रवाना हो गया था।

(ख) जहां तक ज्ञात है 26 अगस्त, 1989 से 24 मार्च, 1990 के बीच श्रीलंका के 4943 शरणार्थी भारत में आए थे जबकि 25 मार्च, 1990 से 4 अप्रैल, 1990 के बीच इनकी संख्या 27 थी।

(ग) और (घ) भारत-श्रीलंका समझौते का आशय यह था कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के समाधान के लिए एक रूप-रेखा तैयार की जाए। इस दिशा में काफी प्रगति की गई है जिसमें प्रान्तीय परिषदों का गठन करना, इन परिषदों को सत्ता सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन करना, उत्तर और पूर्वी प्रान्तों का विलय, तमिल को राजभाषा बनाया जाना आदि शामिल है। तथापि, भारतीय शांति सेना की वापसी के के बाद तमिलों को सुरक्षा और हिफाजत प्रदान करने और जातीय समस्याओं के बकाया पहलुओं का समाधान करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी श्रीलंका की सरकार की है। सरकार स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है।